(167)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक/रिव्यू सन् दिनांक
पुनर्विलोकन – 6255/2018/ग्वालियर/भू.रा.प्र.

1. राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र रमेशचन्द्र गुप्ता निवासी साखनी तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
2. श्रीमती मीराबाई पत्नी राजकिशोर पुत्री स्व. श्री बाबूलाल निवासी ग्राम करारी, तहसील व जिला झांसी (उ.प्र.)
3. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री राजकुमार पुत्री स्व. श्री बाबूलाल निवासी पकोड़िया महादेव दतिया, जिला दतिया (म.प्र.)

..... आवेदकगण

बनाम

1. रमेशचन्द्र गुप्ता
2. बिहारीलाल पुत्रगण स्व. श्री बाबूलाल समस्त निवासीगण ग्राम सांखनी कृषक ग्राम बासोडी तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

रिव्यु अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश माननीय श्री मनोज गोयल अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/4344 में पारित आदेश दिनांक .8.08.2018

माननीय महोदय,

आवेदकगण का रिव्यु निम्नप्रकार से प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 6255/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-4-2019	आवेदकगण की ओर से श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण के ग्राह्यता के संबंध में मूल निगरानी प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./17/4344 में पारित आदेश दिनांक 8-8-18 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:- 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात या साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	